


रेकॉर्ड व वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर प्र
 दृष्यता प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्राथीगण का बनना प्रतीत
 होता है अतः प्रथम दृष्यता प्रकरण में अन्तरिम रथगन आदेश जारी
 किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थी सं:1 को आगामी पेशी तारीख 07.02.2024
 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है
 कि वे मौजा गोदारों का सरा पटवार क्षेत्र राणपा मानजी, तहसील
 सिणधरी के खसरा सं. 151/90 रकबा 10.4685 हैक्टेयर किस्म
 बा. दोयम के संबंध में किसी प्रकार का बैचान इत्यादि नहीं कर
 राजस्व रेकॉर्ड एवं उसके मौके कीयथास्थिति बनाये रखे।
 विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब किया जाकर
 पत्रावली वास्ते-जबाव दिनांक 07.02.2024 को पेश हों।


 सहायक कमिश्नर
 SDO सिणधरी

07.02.24

पुणवली पत्र ३५
 प्रार्थी कीस ३५।
 खसरा सं: 151/90 रकबा 10.4685 हैक्टेयर
 सिणधरी के खसरा सं. 151/90 रकबा 10.4685 हैक्टेयर
 के पत्रावली वास्ते 13-3-24 को पेश हो।


 SDO सिणधरी

13-3-24

वकील वास्ते / प्रार्थी उपस्थित। पीठसीप
 अधिकारी वि. / सो. सभा सुगव वास्ते
 पत्रावली वास्ते... तलब पुणवली हेरपा
 दिनांक 3.4.24 को पेश हो।

5.4.24

वकील वास्ते / प्रार्थी उपस्थित। पीठसीप
 अधिकारी वि. / सो. सभा सुगव वास्ते
 सार प्रशासनिक कार्य में व्यता है। पत्रावली
 वास्ते... तलब पुणवली हेरपा
 दिनांक 22.5.24 को पेश हो।

28.5.24

पुणवली पत्र ३५
 - प्रार्थी को वास्ते ३५ वास्ते ३५ को वास्ते ३५ को वास्ते ३५
 के वास्ते ३५
 सिणधरी के खसरा सं. 151/90 रकबा 10.4685 हैक्टेयर
 के खसरा सं. 151/90 रकबा 10.4685 हैक्टेयर के वास्ते ३५
 पुणवली पत्र ३५ को वास्ते ३५ को वास्ते ३५ को वास्ते ३५

